जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./जी.वि.वि./2020/गोपनीय/2626 दिनांकः 22/02/2021

कार्यालयीन आदेश

सी.एम.हेल्पलाइन संबंधी शिकायतों हेतु निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है

1 सी.एम.हेल्पलाइन पोर्टल पर अंकित शिकायत श्री अमित सिसोदिया(एल-1 स्तर के अधिकारी) अपने कार्यालय से डाउनलोड कराकर संबंधित शाखा प्रभारियों को वितरित करावेंगें। शिकायतों के वितरण से पूर्व वे यह भी सुनिश्चित करेंगें कि शिकायत के संदर्भ में, शिकायत में पूर्ण विवरण यथा छात्र का नाम अनुक्रमांक नामांकन कक्षा सत्र महाविद्यालय का नाम पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक यदि अपेक्षित हों तथा स्थाई पता अंकित हो ताकि शिकायत के निराकरण में कोई असुविधा न हो।

2 शिकायत का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना एक अनिवार्य विषय है अतः कोई भी पदाधिकारी/ सीट इंचार्ज अस्पष्ट जानकारी अंकित न करें

3 प्रत्येक सीट इंचार्ज का यह दायित्व होगा कि वह शिकायत का निराकरण व्यक्तिगत रुचि लेकर अंतिम रूप से करावें। तथा किन्ही भी परिस्थिति में कोई भी शिकायत मात्र अग्रेषित कर निराकरण की औपचारिकता न की जावे।

4 शिकायत के निराकरण के पश्चात् छात्र को उसके मोबाईल पर ई-संदेश भेजकर शिकायत कर्ता के स्तर से ही शिकायत बंद कराई जावे ।

5 किसी भी शिकायत कर्ता की अंकसूची शिकायत के निराकरण के पश्चात् महाविद्यालय न भेजी जावे और न किसी अनाधिकृत व्यक्ति को सौपी जावें।

6 प्रत्येक सीट इंचार्ज शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित स्तर के अधिकारी (एल-1/एल-2) के संज्ञान में लाकर पोर्टल पर अंकित की जावे।

7 यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक शिकायत का निराकरण एल-1/एल-2 स्तर पर किया जावे तथा किन्ही भी परिस्थितियों में कोई भी शिकायत उससे उपर के स्तर पर न पहुँचे ।

8 जिलाधीश जिला -ग्वालियर द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि एल-1 स्तर अनअडेटिट शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक शिकायत के लिये रूपये 100/- पैन्लटी स्वरूप तथा एल-2 स्तर अनअडेटिट शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक शिकायत के लिये रूपये 200/- पैन्लटी स्वरूप संबंधित(उत्तरदायी) व्यक्ति से वसूल किये जावें ।

उक्त आदेशों का पालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जावे।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रति-

समस्त पदाधिकारी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिलिप-

1. माननीय जिलाधीश जिला ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर श्योपुर गुना शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग(ग्वालियर चंबल संभाग) की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवही हेतु।
3. श्री संजय वरथरिया आई/टी इंचार्ज की ओर इस अशय के साथ कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेवसाइड पर अपलोड करें।

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)